This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 27 अक्तूबर, 2017/5 कार्तिक, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग
(नि0–III)

अधिसूचना

शिमला–2, 10 अक्तूबर, 2017

संख्याः पीईआर (एपी)–सी–ए (3)–3/2010.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों

में **चपरासी, वर्ग–IV** (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं के पद के लिए, इस अधिसूचना से संलग्न **उपाबन्ध–"क"** के अनुसार, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:––

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना.**––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, चपरासी, वर्ग–IV, (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम, विधान सभा सचिवालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सिवाय हिमाचल प्रदेश के समस्त सरकारी विभागों को लागू होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**––(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः पी0ई0आर0 (ए0पी0)–सी0 ए (3)–3 / 2010 तारीख 15 नवम्बर, 2010 द्वारा अधिसूचित और तारीख 18 नवम्बर, 2010 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में यथा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, चपरासी, वर्ग–IV (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 का एतद् द्वारा, निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
तरुण श्रीधर,
अति0 मुख्य सचिव (कार्मिक)।

उपाबन्ध–"क"

हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में चपरासी वर्ग–IV (अराजपत्रित), के पद के लिए सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**––चपरासी

2. **पद (पदों) की संख्या.**––जितनी सरकार द्वारा सम्बद्ध विभागों में समय–समय पर मंजूर की गई हैं और मंजूर की जाए।

3. **वर्गीकरण.**––वर्ग–IV (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं

4. **वेतनमान.**––(विस्तृत रुप में दिया जाए) (*i*) *नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैण्ड:*––पे बैण्ड 4900–10680 रुपए जमा 1300 रुपएं ग्रेड पे।

(*ii*) *संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां:*––6200 रुपए प्रतिमास। स्तम्भ संख्याः 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार।

5. **''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.**––लागू नहीं।

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**––18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी इस रूप मे नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़ा वर्गो और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गो के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पणीः––सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया हैं।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.––*(क) अनिवार्य अर्हताः*––किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/संस्था से दसवीं की परीक्षा पास की हो या इसके समतुल्य।

परन्तु उन दृष्टि बाधित व्यक्तियों को जिन्होने पैंतीस वर्ष की आयु पार कर ली है, जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित एक प्रतिशत कोटा के अधीन प्रतियोगी हैं, विहित शैक्षिक अर्हता अनिवार्य नहीं होगी।

(ख) वांछनीय अर्हता (एं):––हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.––लागू नहीं

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.––(*i*) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

(*ii*) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकण्डमैंट स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.––शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा, ऐसा न होने पर स्थानान्तरण/सैकेण्डमैंट आधार पर।

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.––हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में इस पद के समतुल्य वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से स्थानान्तरण द्वारा/सैकेण्डमैंट आधार पर।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.––जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.——जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.——किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.——सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट–I में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन के पश्चात् विहित शैक्षिक अर्हता के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा।

15–क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.——इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तो के अध्यधीन की जाएंगीः——

(I) संकल्पनाः——(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश................(विभाग का नाम) में चपरासी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

(ख) सम्बद्ध विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम), रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् रिक्त पदो के ब्यौरे को कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और इन नियमों में यथाविहित अर्हताएं और अन्य पात्रता शर्तो को पूरा करने वाले पात्र अभ्यिर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तो के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियांः——संविदा के आधार पर नियुक्त चपरासी को 6200 / – रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष / वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 186 / –रुपए की रकम (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारीः——सम्बद्ध विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम), नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रियाः——संविधा नियुक्ति के मामले में नियुक्ति हेतु चयन, इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट–I में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन के पश्चात् विहित शैक्षिक अर्हता के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः——जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् सम्ब विभागाध्यक्षों द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करारः——अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट ''II'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तेंः——(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 6200 / – रुपए प्रतिमास की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, आगे बढ़ाए गए वर्ष / वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹186 / – रुपएं (पे बैन्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वृद्धि का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए हकदार होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन के प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किए जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी / आरोग्य का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0 एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई.पी.एफ. / जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.––सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्गो के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.––लाागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.——जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

——————

परिशिष्ट–I

1.	भर्ती और प्रोन्नति नियमों के संन्दर्भ में, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता की गुणागुण के अनुसार, निम्नलिखित रुप में गणना की जाएगीः– {विहित शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंको में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ, दसवी में में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे}।	85 अंक
2.	अभ्यर्थी का मूल्ययांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना हैः– (*i*) यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित। 01 अंक (*ii*) भूमिहीन कुटुम्ब / एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को संबद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। 2 अंक (*iii*) इस प्रभाव का गैर–नियोजन प्रमाण पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी / अर्ध सरकारी सेवा में नही है। 2.5 अंक (*iv*) 40 % विकृति / निःशक्तता / दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन। 01 अंक (*vi*) एन एस एस (कम से कम एक वर्ष) / एन सी सी में प्रमाण–पत्र धारक / भारत स्काउट और गाइड / राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता। 01 अंक (*vi*) सरकार द्वारा समय–समय पर यथाविहित ₹40,000 से कम (समस्त स्रोतो से) वार्षिक आय वाला बी पी एल कुटुम्ब। 2.5 अंक (*vii*) विधवा / तलाकशुदा / अकिंचन / एकल महिला। 1.5 अंक (*viii*) इकलौती पुत्री / अनाथ 01 अंक (*ix*) सरकारी / अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से संबंधित, अधिकतम पांच वर्ष तक अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए केवल 0.05 अंक) 2.5 अंक	15 अंक

परिशिष्ट–"II"

चपरासी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य .... (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप

यह करार श्री / श्रीमति.......................पुत्र / पुत्री श्री....................निवासी.........................., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य, ... (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.............................. को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने चपरासी के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः—

1. यह कि प्रथम पक्षकार चपरासी के रूप में .... से प्रारम्भ होने और...........................को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात् .... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

   परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 6200 / — रुपएं प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए हकदार होगा। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश प्रदान किया जाएगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन के प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नही होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

   अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किए जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्तर्व्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी की दशा में प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ....
....
....
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2. ....
....
....
(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

————————

[*Authoritative English Text of the Department Notification No. Per (AP)-C-A (3)-3/2010 dated 10-10-2017 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

PERSONNEL DEPARTMENT
(AP-III)

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 10*th* *October,* 2017

No. Per (AP)-C-A (3)-3/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Common Recruitment and Promotion Rules for the post of **Peon, Class-IV** (Non-Gazetted) Ministerial Services in various Departments of the Government of Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

1. Short title, commencement and application.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Peon, Class-IV (Non-Gazetted) Ministrial Services, Common Recruitment and Promotion Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

(3) These rules shall be applicable to all the Government Departments of Himachal Pradesh, except Vidhan Sabha Secretariat, High Court of H.P. and Himachal Pradesh Public Service Commision.

2. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Department of Personnel, Peon Class-IV (Non-Gazetted) Common Direct Recruitment and Promotion Rules, 2010 notified *vide* this Department Notification No. Per.(AP)-C-A(3)-3/2010, dated 15.11.2010 as published in the Rajpatra of Himachal Pradesh on 18th November, 2010 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) supra, shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order,

TARUN SHRIDHAR,
Addl. Chief Secretary (Personnel).

Annexure-"A"

Common Recruitment and Promotion Rules for the post of Peon, Class-IV (Non-Gazetted) in the various Government Departments of Himachal Pradesh

1. Name of Post.—Peon

2. Number of Post(s).—As sanctioned and may be sanctioned by the Govt. from time to time in the Department concerned.

3. Classification.—Class-IV (Non-Gazetted) Ministerial Services.

4. Scale of Pay (Be given in expanded notation).—(I) *Pay band for regular incumbent(s):* —Pay Band Rs. 4900- 10680+1300 Grade Pay.

(II) *Emoluments for Contract Employee(s):*—Rs. 6200/- as per details given in Col. 15-A.

5. Whether "Selection" Post or "Non-Selection" Post.—N.A.

6. Age for Direct recruitment.—Between18 to 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become over-age on the date he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note:—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (*a*) *ESSENTIAL QUALIFICATION:*—Should have passed Matriculation Examination or its equivalent from recognized Board of School Education/ Institution.

Provided that visually impaired persons who have crossed the age of 35 (Thirty Five) years, competing under 1% quota reserved for visually impaired persons will be exempted from prescribed educational qualification.

(*b*) *DESIRABLE QUALIFICATION(S):*—Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational Qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promote(s).—Not Applicable.

9. Period of Probation, if any.—(*i*) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(*ii*) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on Contract basis, as the case may be, failing which by transfer/ secondment basis.

11. In case of recruitment by promotion /secondment/ transfer, grade(s) from which promotion/ secondment/ transfer is to be made.—By transfer/ secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scales from other H.P.Government Departments.

12. If a Departmental Promotion/Confirmation Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Govt. from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradedh Public Service Commission (H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of prescribed educational qualification followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT:—(*a*) Under this policy the Peon in the Department____________(Name of the Department) H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed /extended.

(*b*) The HOD (Designation of the appointing authority) after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in at least two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualification and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:—The Peon appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ `6200/-P.M (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). An amount of `186/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year (s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Head of the Department (Designation of the appointing authority) will be the appointing & disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of prescribed educational qualification followed by evaluation as specified in **Appendix-I** appended to these rules.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. HOD of the concerned Department (Name of the recruiting authority) from time to time.

(VI) AGREEMENT:—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per **Appendix-"II"**appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:—(*a*) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹ 6200/- P.M (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹186/-(3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(*b*) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(*c*) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(*d*) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(*c*) An official appointed on contract basis who has completed three years' tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(*f*) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks' will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(*g*) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.

(*h*) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Schame as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not Applicable.

18. Power to Relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post (s).

APPENDIX-I

1.	Merit of minimum educational qualification, in terms of the Recruitment & Promotion Rules, shall be calculated as under:— {Percentage of marks obtained in prescribed educational qualification to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in Matric will be given 42.5 marks}.	85 marks
2.	Evaluation of candidates to be made in the following manner):— (*i*) Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be. =01 Mark (*ii*) Land less family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority. =02 Marks (*iii*) Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi-Government service. =2.5 Marks (*iv*) Differently abled persons with more than 40% impairment/ disability/infirmity. =01 Mark (*v*) NSS(alteast one year)/certificate holders in NCC/The Bharat Scout and Guide/Medal winner in National Level sports competitions. =01 Mark (*vi*) BPL family having annual income (from all sources) below ` 40,000/-or as prescribed by the Govt. from time to time. =2.5 Marks (*vii*) Widow/divorced/destitute/single woman. =1.5 Marks (*viii*) Single daughter/Orphan =01 Mark (*ix*) Experience upto a maximum of 5 years in Govt./Semi-Govt. Organization relating to the post applied for (0.5 marks only for each completed year) =2.5 Marks	15 marks

APPENDIX-"II"

Form of contract/agreement to be executed between the Peon and the Government of Himachal Pradesh through ______________ (Designation of the Appointing Authority)

This agreement is made on this _________________________day of _____________in the year_____________________________ Between/Sh./Smt. _________________________S/o/D/o Shri____ R/o ____ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through _________________ (Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the SECOND PARY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a __________(Name of the post) for a period of one year commencing on day of ______________and ending on the day of _____________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the___________FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day *i.e.* on ________________ and information notice shall not be necessary:

   Provided that for further extention/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ₹ 6200/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

   Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

   Provided that he/she shall submit the cerfificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three year's tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. ________________________

   ____

   ____

   (Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. ________________________

   ____

   ____

   (Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 29 अगस्त, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14) 67 / 2013.——इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''**संरक्षित वन**'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1	20 / 2002	खुड़ोग–प्रथम	मनेवटी शिलगांव	1 1 / 1, 168 / 1, 695 / 1 किता 4	15–29–13	उत्तरः डी.पी.एफ. खण्डयाण,यू.पी.एफ. सीमा दक्षिणः बोग दितीय पूर्वः मनेवटी व शिलगांव पश्चिमः डी.पी.एफ. खण्डयाण	थरोच	चौपाल	शिमला

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

——————

[*Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-67/2013, dated 29th August, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India*].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 29th August, 2017

No.FFE-B-F(14)-67/2013.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1	20/2002	Khudog-I	Manevati Shilgaon	1 1/1, 168/1, 695/1. Kitta 4	15-29-13	North: DPF Khandyan, UPF Sima South:Bog –II East: Manevati & Shilgaon West: DPF Khandyan	Tharoch	Chopal	Shimla

By order,

TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

———————

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 30 अगस्त, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14) 70/2013.——इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन "**संरक्षित वन**" कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त सहित उपमुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1	26 / 2002	लच्छोग	लच्छोग दाछी	1 / 1, 200 / 1, 268 / 1, 269 / 1 1 / 1, 2 / 1, 129 / 1, 130 / 1 / 1 271 / 1 किता 9	133–61–48	उत्तरः रनाश दक्षिणः दाछी पूर्वः खिलार पश्चिमः दाछी	थरोच	चौपाल	शिमला

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

——————

[*Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-70/2013, dated 30th August, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India*].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th August, 2017

No.FFE-B-F(14)-70/2013.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District

1	26/2002	Lachhog	Lachhog Datchi	1/1, 200/1, 268/1, 269/1 1/1, 2/1, 129/1, 130/1/1 271/1. Kitta 9	133-61-48	North: Ranash South: Datchi East: Khilar West: Datchi	Tharoch	Chopal	Shimla

By order,

TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 29 अगस्त, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14) 71 / 2013.——इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन "**संरक्षित वन**" कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित उपमुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1	4 / 2003	पोड़न	पोड़न	3 / 1, 18 / 1, 109 / 1, 111 / 1, 346 / 1, 347 किता 6	76—00—98	उत्तरः डी.पी.एफ. लईधार दक्षिणः पोड़न पूर्वः पोड़न पश्चिमः डी.पी. एफ.आरूआ	थरोच	चौपाल	शिमला

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[*Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-71/2013, dated 29th August, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India*].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 29th August, 2017

No.FFE-B-F(14)-71/2013.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1	4/2003	Podan	Podan	3/1, 18/1, 109/1, 111/1, 346/1, 347. Kitta 6	76-00-98	North: DPF Lai Dhar South:Podan East:Podan West: DPF Aarua	Tharoch	Chopal	Shimla

By order,

TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

———————

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 30 अगस्त, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)73 / 2013.––इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन "**संरक्षित वन**" कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित उपमुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1	3/2004	मानू–द्वितीय	मानू दवाड़ा	50/1, 54/1, 72/1, 179/1/1, 220/1/1, 409/1, 410/1, 434/1, 492/1, 527/1, 235/1, 236/1, 237/1 किता 13	108–84–62	उत्तरः मानू दक्षिणः बानीपुल पूर्वः मानू प्रथम व जनोग पश्चिमः दवाडा	थरोच	चौपाल	शिमला

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

———————

[*Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-73/2013, dated 30th August, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India*].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 30th August, 2017

No.FFE-B-F(14)-73/2013.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1	3/2004	Manu-II	Manu Dawada	50/1, 54/1, 72/1, 179/1/1, 220/1/1, 409/1, 410/1, 434/1, 492/1, 527/1, 235/1, 236/1, 237/1 Kitta 13	108-84-62	North: Manu South:Banipul East:Manu-I & Janog West: Dawada	Tharoch	Chopal	Shimla

By order,

TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 30 अगस्त, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)74/2013.–– इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''**संरक्षित वन**'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित उप मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला

1	4 / 2004	ईड़ा–प्रथम	दरभाड रघोल चामा	100 / 1, 146 / 1, 149 / 1, 185 / 1, 191 / 1, 215 / 1 370 / 1, 632 / 1 6 / 1, 7, 9 / 1, 23 / 1, 76 / 1, 93 / 1, 95 / 1, 117, 118 / 1, 119 / 1, 222 / 1, 224 किता 20	255–13–45	उत्तरः जनोग दक्षिणः धरबाड पूर्वः छिनोग पश्चिमः ईड़ा	थरोच	चौपाल	शिमला

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

——————

[*Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-74/2013, dated 30th August, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India*].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th August, 2017

No.FFE-B-F(14)-74/2013.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District

1	4/2004	Irra-I	Darbhad Raghol Chama	100/1, 146/1, 149/1, 185/1, 191/1, 215/1. 370/1, 632/1. 6/1, 7, 9/1, 23/1, 76/1, 93/1, 95/1, 117, 118/1, 119/1, 222/1, 224. **Kitta 20**	255-13-45	North: Janog South: Dharbad East: Chhinog West: Irra	Tharoch	Chopal	Shimla

By order,

TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 30 अगस्त, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)75 / 2013.—— इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन "**संरक्षित वन**" कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1	13 / 2004	मानू–चतुर्थ	गयां फावला	267 / 1, 357 / 1 53 / 1, 117 / 1, 155 / 1, 156 / 1, 167 किता 7	23–25–24	उत्तरः गयां दक्षिणः मानू बलूवटा पूर्वः गयां पश्चिमः मानू बलूवटा	थरोच	चौपाल	शिमला

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[*Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-75/2013, dated 30th August, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India*].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th August, 2017

No.FFE-B-F(14)-75/2013.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1	13/2004	Manu-IV	Gayan Phawala	267/1, 357/1. 53/1, 117/1, 155/1, 156/1, 167. Kitta 7	23-25-24	North: Gayan South:Manu Baluvta East:Gayan West: Manu Baluvta	Tharoch	Chopal	Shimla

By order,

TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

———————

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 28 अगस्त, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14) 69/2013.——इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''**संरक्षित वन**'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1	23 / 2002	थयारा– प्रथम	थयारा	611 / 1, 623 / 1, 624 / 1, 627 / 1, 628 / 1 किता 5	75–74–42	उत्तरः थयारा दक्षिणः डी.पी. एफ.पनाह पूर्वः मशराह पश्चिमः थयारा	थरोच	चौपाल	शिमला

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

————————

[*Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-69/2013, dated 28th August, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India*].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th August, 2017

No.FFE-B-F(14)-69/2013.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1	23/2002	Thayara-I	Thayara	611/1, 623/1, 624/1, 627/1, 628/1. Kitta 5	75-74-42	North: Thayara South: DPF Panah East:Mashrah West: Thayara	Tharoch	Chopal	Shimla

By order,

TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 30 अगस्त, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14) 70/2013.——इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''**संरक्षित वन**'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त सहित उपमुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1	26/2002	लच्छोग	लच्छोग दाछी	1/1, 200/1, 268/1, 269/1 1/1, 2/1, 129/1, 130/1/1 271/1 किता 9	133–61–48	उत्तरः रनाश दक्षिणः दाछी पूर्वः खिलार पश्चिमः दाछी	थरोच	चौपाल	शिमला

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[*Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-70/2013, dated 30th August, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India*].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th August, 2017

No.FFE-B-F(14)-70/2013.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1	26/2002	Lachhog	Lachhog Datchi	1/1, 200/1, 268/1, 269/1 1/1, 2/1, 129/1, 130/1/1 271/1. Kitta 9	133-61-48	North: Ranash South: Datchi East: Khilar West: Datchi	Tharoc h	Chopal	Shimla

By order,

TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 29 अगस्त, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14) 71 / 2013.——इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''**संरक्षित वन**'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित उपमुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1	4 / 2003	पोड़न	पोड़न	3 / 1, 18 / 1, 109 / 1, 111 / 1, 346 / 1, 347 किता 6	76–00–98	उत्तरः डी.पी.एफ. लईधार दक्षिणः पोड़न पूर्वः पोड़न पश्चिमः डी.पी. एफ.आरूआ	थरोच	चौपाल	शिमला

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

————————

[*Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-71/2013, dated 29th August, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India*].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 29th August, 2017

No. FFE-B-F(14)-71/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1	4/2003	Podan	Podan	3/1, 18/1, 109/1, 111/1, 346/1, 347. Kitta 6	76-00-98	North: DPF Lai Dhar South:Podan East:Podan West: DPF Aarua	Tharoch	Chopal	Shimla

By order,

TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

———————

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 29 अगस्त, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14) 72 / 2013.——इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''**संरक्षित वन**'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1	10 / 2003	ईड़ा–द्वितीय	ईड़ा, जनोग	12 / 1, 717 / 1,721 / 1, 722 / 1,724 / 1, 801 / 1, 810 / 1, 820 / 1,901 / 1, 922 / 1, 1 / 1, 7 / 1, 8 / 1, 13 / 1,13 / 2,50 / 1, 70 / 1,74 / 1,153 / 1,	154–71–11	उत्तरः मानू दक्षिणः चोजन पूर्वः धरवाड़ पश्चिमः बानी	थरोच	चौपाल	शिमला

				490 / 1,581 / 1,587 / 1, 588 / 1,610 / 1, 622 / 1, 638 / 1, 645 / 1,650 / 1, 658 / 1,					
			क्यारटूवा	29 / 1, 39 / 1, 135 / 1, 136					
				किता 33					

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

———————

[*Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-72/2013, dated 29th August, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India*].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th August, 2017

No.FFE-B-F(14)-72/2013.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1	10/2003	Irra-II	Irra	12/1, 717/1, 721/1, 722/1, 724/1, 801/1, 810/1, 820/1, 901/1, 922/1,	154-71-11	North: Manu South: Chojan East: Dharwad West: Bani	Tharoch	Chopal	Shimla
			Janog	1/1, 7/1, 8/1,13/1, 13/2, 50/1, 70/1, 74/1, 153/1,490/1, 581/1, 587/1,588/1,					

				610/1, 622/1,638/1, 645/1, 650/1,658/1,					
			Kyartuva	29/1, 39/1, 135/1, 136 Kitta 33					

By order,

TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

———————

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 30 अगस्त, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)73/2013.—— इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''**संरक्षित वन**'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित उपमुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1	3/2004	मानू– द्वितीय	मानू	50/1, 54/1, 72/1, 179/1/1, 220/1/1, 409/1, 410/1, 434/1, 492/1, 527/1,	108–84–62	उत्तरः मानू दक्षिणः बानीपुल पूर्वः मानू प्रथम व जनोग पश्चिमः दवाडा	थरोच	चौपाल	शिमला
			दवाड़ा	235/1, 236/1, 237/1 किता 13					

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[*Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-73/2013, dated 30th August, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India*].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 30th August, 2017

No.FFE-B-F(14)-73/2013.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1	3/2004	Manu-II	Manu Dawada	50/1, 54/1, 72/1, 179/1/1, 220/1/1, 409/1, 410/1, 434/1, 492/1, 527/1, 235/1, 236/1, 237/1 Kitta 13	108-84-62	North: Manu South:Banipul East:Manu-I & Janog West: Dawada	Tharoch	Chopal	Shimla

By order,

TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
SECTION-A

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 25*th* *October,* 2017

No. GAD-A(B)8-4/2001-III.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to declare 9th November, 2017(Thursday) as a Gazetted Holiday in Himachal Pradesh on account of General Election of 68 H.P. Vidhan Sabha constituencies to enable the employees working in all

Government Offices/Boards/Corporations/Educational Institutions and Industrial Establishments situated in Himachal Pradesh to exercise their right to franchise. This will also be a paid holiday to daily waged employees and also within the meaning of section 25 of Negotiable Instruments Act, 1881.

It is, however clarified that special casual leave may be given to those employees who are working in different places in the State but have right to vote in other constituencies/ places in the Pradesh on the production of certificate from the concerned Presiding Officer that the employee has actually cast his/her vote.

By order,
V. C PHARKA,
Chief Secretary.

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री सुल्तान पुत्र श्री रतना, निवासी बागरन, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

प्रकरण संख्या 117 / 17

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुल्तान पुत्र श्री रतना, निवासी बागरन, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पिता रतना की मृत्यु की तिथि 10—02—2016 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत / नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत / नगरपालिका परिषद् फुलपुर, में अपने ऊपरवर्णित पिता रतना की मृत्यु तिथि 10—02—2016 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को रतना की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत / नगरपालिका परिषद् फुलपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 27—10—2017 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त रतना की मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत / नगरपालिका परिषद् में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 28—09—2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री सतीश कुमार पुत्र श्री पुरन चन्द, निवासी कोलर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सतीश कुमार पुत्र श्री पुरन चन्द, निवासी कोलर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र सुरज की जन्म तिथि 4—12—2002 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत / नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत / नगरपालिका परिषद् कोलर में अपने ऊपरवर्णित पुत्र की जन्म तिथि 4—12—2002 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को सुरज की जन्म तिथि ग्राम पंचायत / नगरपालिका परिषद् कोलर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 02—11—2017 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त सुरज की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत / नगरपालिका परिषद् में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03—10—2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री Kalsang Dekyi पुत्र श्री Sonam Tashi, निवासी House No. 39. S.T. S. Tibetan Socity Puruwala, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Kalsang Dekyi पुत्र श्री Sonam Tashi, निवासी House No. 39. S.T S. Tibetan Socity Puruwala, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से उसकी जन्म तिथि 12—07—1977 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत / नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत / नगरपालिका परिषद् Dobri Salwala में अपनी जन्म तिथि 12—07—1977 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री Kalsang Dekyi की जन्म तिथि ग्राम पंचायत / नगरपालिका परिषद् Dobri Salwala, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 2–11–2017 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री Kalsang Dekyi की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत / नगरपालिका परिषद् में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03–10–2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री जय पाल पुत्र श्री जाती राम, निवासी भराली, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

प्रकरण सं0 : 27 / 17
उनवान मुकद्दमा.–प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जयपाल पुत्र श्री जाती राम, निवासी भराली, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री दीपिका की जन्म तिथि 15–01–2015 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत / नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ–पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत / नगरपालिका परिषद् शिवा में अपने ऊपरवर्णित पुत्री की जन्म तिथि 15–01–2015 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 दीपिका की जन्म तिथि ग्राम पंचायत / नगरपालिका परिषद् शिवा, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 6–11–2017 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त कु0 दीपिका की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत / नगरपालिका परिषद् में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07–10–2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री भुपेन्द्र यादव पुत्र श्री बीनो यादव, निवासी W. No.7. House No. 104, Nirmal Colony, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री भुपेन्द्र यादव पुत्र श्री बीनो यादव, निवासी W. No. 104, Nirmal Colony, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री अनीता की जन्म तिथि 01—01—1994 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् पावंटा साहिब में अपनी ऊपरवर्णित पुत्री की जन्म तिथि 01—01—1994 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 अनीता की जन्म तिथि ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 6—11—2017 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त कु0 अनीता की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07—10—2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती जसबीर कौर पुत्री श्री अर्जुन सिंह, निवासी जामनीवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

प्रकरण सं0 : 124/17

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती जसबीर कौर पुत्री श्री अर्जुन सिंह, निवासी जामनीवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदीका किन्हीं कारणों से अपनी जन्म तिथि 20—08—1966 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदीका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदीका ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदीका ने ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् जामनीवाला में अपनी जन्म तिथि 20—08—1966 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्रीमती जसबीर कौर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् जामनीवाला, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 10–11–2017 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्रीमती जसबीर कौर की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10–10–2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री हरमेश सिंह पुत्र श्री महिन्द्र सिंह, निवासी गोंदपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

प्रकरण सं0 : 7/2017

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हरमेश सिंह पुत्र श्री महिन्द्र सिंह, निवासी गोंदपुर, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र हरजीत सिंह की जन्म तिथि 21–11–1993 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं हो पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् अमरकोट में अपने ऊपरवर्णित पुत्र की जन्म तिथि 21–11–1993 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री हरजीत सिंह की जन्म तिथि ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् अमरकोट, तहसील पावंटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 10–11–2017 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री हरजीत सिंह की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 09–10–2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री दीपक पुत्र श्री मोहन, निवासी बातामण्डी, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री दीपक पुत्र श्री मोहन, निवासी बातामण्डी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से उसकी जन्म तिथि 05—01—1996 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत / नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं हो पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत / नगरपालिका परिषद् भाटां वाली में अपनी जन्म तिथि 05—01—1996 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री दीपक की जन्म तिथि ग्राम पंचायत / नगरपालिका परिषद् भाटां वाली, तहसील पावंटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 06—11—2017 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री दीपक की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत / नगरपालिका परिषद् में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07—10—2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है